संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-74(7)/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 05 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : 1916/के0यू0/मान्यता/सम्बद्धता/2021 दिनांक 26 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0कॉम0 (बैंकिंग एण्ड फाईनेन्स) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	**बी0 कॉम0** (बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स)	60 सीट	2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्रों के Internships/Visit हेतु बिजनेस ग्रुप/कम्पनी से किये गये MOU/Tie-Up सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जायेगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3– संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

4– संस्थान यू0जी0सी0 विनियम–2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।

5– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः/–

6– यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

7– यदि किसी पाठ्यकम के तकनीकी मानक राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हों तो विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के भीतर सम्बन्धित पाठ्यकम के मानक निधारित किये जायेंगे।

8– विश्वविद्यालय संस्थान की **Annual Balance Sheet** सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर एक प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

9– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त उपरोक्त बिन्दु 02, 05, 06, 07 व 08 में उल्लिखित प्रपत्रों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2061 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-74(7)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।